न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 18/2020 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2020/00031

हफीज खां पुत्र गुलाम नबी जाति मुसलमान निवासी मगनवाला तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।

— अपीलान्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान।

— रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः	अभिभाषक अपीलांट	श्री करण सिंह तंवर
	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट	राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 29.08.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.06.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि —

1— वादग्रस्त भूमि तहसील कोलायत के ग्राम मगनवाला के खसरा नंबर 23/3 में कुल 33 बीघा अपीलांट को टी.सी आवंटन थी। उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत के आदेश दिनांक 16.10.1983 द्वारा अपीलांट को सूचना करने के पश्चात भी उपस्थित नहीं होने के आधार पर वादगत भूमि का टी.सी आवंटन निरस्त कर दिया गया। अपीलांट ने उक्त आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) बीकानेर ने आदेश दिनांक 28.06.2019 द्वारा अपील मियाद बाहर होने के आधार पर अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर ने उक्त अपील दिनांक 23.12.2019 को राजस्थान सरकार राजस्व विभाग, ग्रुप—6 की अधिसूचना क्रमांक 1(17)/Rev—6/ 2019/112 दिनांक 17.10.2019 के तहत इस न्यायालय में हस्तांतरित कर दी। इस न्यायालय द्वारा पत्रावली दायरा दर्ज कर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया और बिना सुनवाई के फैसला पारित कर दिया। उक्त वादगत भूमि का नवीनीकरण उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत द्वारा महज इस आधार पर खारिज किया कि अपीलांट बावजूद नोटिस उपस्थित नहीं हुआ, यह किसी भी प्रकार से विधि सम्मत् आदेश नहीं है। सही स्थिति यह है कि तहसील कार्यालय से जारी कोई भी नोटिस अपीलांट को मिला ही नहीं और दिनांक 12.06.84 को तहसील कार्यालय ने नोटिस की तामील अपीलांट के भाई से करवाई, जो अपीलांट के परिवार का सदस्य नही है। इस प्रकार तहसील कार्यालय की सारी कार्यवाही गैर—कानूनी तरीके से की गई। उक्त वादगत भूमि पर अपीलांट आज तक काबिज और काश्त है। अपीलांट को कभी भी बेदखल नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) बीकानेर के अपीलाधीन आदेश में यह कथन था कि अपीलांट ने धारा 5 कानूनी मियाद प्रार्थना—पत्र में दिन प्रतिदिन विलम्ब के कारण अंकित नहीं है। यह किसी प्रकार विधिसम्मत् नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद कानून को समझने में भारी भूल की है। अधिनरथ न्यायालय में समक्ष अपील इल्म के दिन से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) बीकानेर के आदेश दिनांक 28.06.2019 को निरस्त फरमावें।

3— राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि वादग्रस्त भूमि तहसील कोलायत के ग्राम मगनवाला के खसरा नंबर 23/3 में कुल 33 बीघा अपीलांट को टी.सी आवंटन थी। उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत के आदेश दिनांक 16.10.1983 द्वारा अपीलांट को इंतला करने के पश्चात भी उपस्थित नहीं होने के आधार पर वादगत भूमि का टी.सी आवंटन निरस्त कर दिया गया। क्योकि इससे यह जाहिर होता है कि अपीलांट उक्त वादगत भूमि के टीसी आवंटन का नवीनीकरण नही करवाना चाहता। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर ने मियाद अधिनियम के प्रार्थना—पत्र में विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई कारण अंकित नहीं होने के आधार पर अपील को मियाद बाहर होने पर खारिज कर दी। जो नियमानुसार सही है। उपनिवेशन तहसीलदार कोलयत एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर ने किसी भी प्रकार का अनियमित एवं अवैधानिक कार्य नहीं किया। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत ने वादगत भूमि के संबंध में अपीलांट को सूचना हेतु हुए भी उपस्थिति नहीं होने पर आरजी काश्तकार का नवीनीकरण निरस्त कर दिया। अपीलांट भी ऐसे दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा, जिससे यह साबित हो सके की अपीलांट को उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत के समक्ष उपस्थित होने की सूचना नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2019 में धारा 5 कानूनी मियाद प्रार्थना—पत्र में दिन प्रतिदिन विलम्ब के कारण अंकित नहीं होने के आधार पर अपील निरस्त कर दी गई। जो मियाद अधिनियम के अनुसार न्यायाचित हैं। हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2019 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर